## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

19016/12/19

/ न0वि0एवंआ0वि0। जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-2380 दिनांक-28.11.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार, परिक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0 / -(राम सेवक प्रसाद) सरकार के अवर सचिव।

6603 / न०वि०आ०वि०, पटना / दिनांक-16/12/19 ज्ञापांक-01 / स्था० (विविध)-55 / 2019 प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर / श्री राकेश कुमार, परिक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/संबंधित कोषाँगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी०

प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।